



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III— Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/ कार्तिक 29, 1940

No. 437]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2018

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी(वाटर एंड बीवरेजिज)/अधिसूचना(05)/एफएसएसआई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का मसौदा इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनयमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य)..... संशोधन विनियम, 2018 है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (इसके पश्चात इन्हें उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम 2.10, में,-
 - (1) उप-विनियम 2.10.2 में,-
 - (क) खंड (1) के पश्चात निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“1अ. विकैफीनित – भुनी और पिसी कॉफी

1. विकैफीनित कॉफी से *कौफिया अरेबिका*, *कौफिया लिबेरिका*, *कौफिया एक्ससेलसा* अथवा *कौफिया कनेफोरा (रोबुस्टा)* के सूखे बीज अथवा छिलके उतरे (मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति) और फलियों से समग्र कैफीन निकालने के लिए विकैफीनित बीज अभिप्रेत है। विकैफीनीकरण हरी फलियों को भूनने से पहले किया जाता है।
 - (क) भुनी विकैफीनित कॉफी से अभिप्रेत वह अच्छी प्रकार साफ की गई ग्रीन कॉफी है, जिसे विकैफीनित करके भूरा रंग आने तक भूना गया हो और उसकी लाक्षणिक सुगंध बन गई हो।
 - (ख) पिसी विकैफीनित कॉफी से अभिप्रेत केवल ‘भुनी विकैफीनित कॉफी’ से बनाए गए वे पाउडर उत्पाद हैं जिनमें भूसा न हो।
2. यह कृत्रिम रंजन, सुवासन, फेसिंग, बाहरी पदार्थ अथवा ग्लेजिंग पदार्थों से मुक्त हो और शुष्क तथा ताजा अवस्था में हो, वासी अथवा हानिकर सुवास से मुक्त हो। यह शुष्क भार आधार पर निम्नलिखित मानकों के अनुरूप हो:-

सारणी

क्रम सं०	पैरामीटर	अपेक्षाएँ
1.	आर्द्रता, प्रति शत, भारानुसार, अधिकतम	5.0
2.	कुल भस्म, प्रति शत, द्रव्यमान अनुसार	3.0 से 6.0
3.	अम्ल अघुलनशील भस्म, प्रति शत, द्रव्यमान अनुसार, अधिकतम	0.1
4.	जल घुलनशील भस्म, प्रति शत, द्रव्यमान अनुसार, न्यूनतम	65.0
5.	विलेय भस्म की क्षारीयता, प्रति ग्रा सामग्री में 0.1 N हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलि लीटर के रूप में, प्रति शत, द्रव्यमान अनुसार, मि. ली	3.5 से 5.0
6.	जलीय सत्त, प्रति शत, द्रव्यमान अनुसार	26.0 से 35.0
7.	कैफीन (निर्जल), प्रति शत, द्रव्यमान अनुसार, अधिकतम	0.1

(ख) खंड (2) के पश्चात निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"2अ. विकैफीनित विलेय कॉफी पाउडर

1. विकैफीनित विलेय कॉफी पाउडर से वह कॉफी पाउडर अभिप्रेत है, जिसे उन ताजा भुनी और पिसी हुई शुद्ध कॉफी की फलियों से बनाया गया हो जिनमें से अधिकांश कैफीन निकाल दी गई हो। उत्पाद मुक्त प्रवाही पाउडर के रूप में अथवा दानों के रूप में हो, जिसमें कॉफी का लाक्षणिक रंग, स्वाद और सुवास हो। इसमें अशुद्धियाँ न हों और इसमें कासनी अथवा अन्य कोई योजित पदार्थ न हो।
2. विकैफीनित विलेय कॉफी पाउडर अथवा दाने शुष्क भार आधार पर निम्नलिखित मानकों के अनुरूप हों:-

क्रम सं०	मानदंड	अनुमत सीमाएँ
1.	आर्द्रता, प्रति शत, भारतानुसार, अधिकतम	4.0
2.	कुल भस्म, प्रति शत, द्रव्यमान अनुसार, अधिकतम	12.0
3.	कैफीन (निर्जल), प्रति शत, द्रव्यमान अनुसार, अधिकतम	0.3
4.	उबलते पानी में विलेयता	थोड़े विलोडन से 30 सेकेंड में आसानी से घुल जाए
5.	16+/-2°C ठंडे पानी में विलेयता	थोड़े विलोडन से 3 मिनट में घुल जाए

(2) उप-विनियम 2.10.8 की सारणी 3 के स्तंभ (2) और (3) की क्रम सं० 15 और 16 की प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएँ:

क्रम सं०	लक्षण	अपेक्षाएँ
(1)	(2)	(3)
"15.	कैल्शियम (Ca के रूप में), मिग्रा/लीटर	20 से 75
16.	मैग्नेशियम (Mg के रूप में), मिग्रा/लीटर	10 से 30"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/358/18]

टिप्पणी-मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ सं० 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011, द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचनासंख्याओं द्वारा संशोधित किए गए:-

- i. फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- ii. फा.सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- iii. फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- iv. फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- v. फा.सं. 1-83एफ/एससीआई० पीएन-अधि०/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- vi. फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- vii. फा.सं.पी०15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

- viii. फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- ix. फा.सं.पी.15025/261-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- x. फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- xi. फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- xii. फा.सं.1-10(1)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- xiii. फा.सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- xiv. फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- xv. फा. सं० 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- xvi. फा.सं.1-12/मानक/एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- xvii. फा.सं.1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- xviii. एफ. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;
- xix. फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- xx. फा.सं.11/12विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;
- xxi. एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;
- xxii. फा. सं. मानक/एसपी(जल और पेय)/अधि (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016;
- xxiii. फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- xxiv. फा. सं पी./15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;
- xxv. फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;
- xxvi. फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- xxvii. फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- xxviii. फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- xxix. फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- xxx. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून 2017।
- xxxi. फा. सं. 1/योजक/मानक14.2 अधिसूचना/ एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई,2017;
- xxxii. फा. सं. मानक/एफऔर बीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017;
- xxxiii. फा. सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- xxxiv. फा.सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- xxxv. फा. सं मानक/एसपी (पानी और पेय)/अधि. (1)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- xxxvi. फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- xxxvii. फा.सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ऐ आई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- xxxviii. फा.सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- xxxix. फा.सं.मानक/ओऔर एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- xl. एफ. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ऐ आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर, 2017;
- xli. फा.सं.ए-1/मानक/एममार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- xlii. एफ.सं.1/योजक/मानक/बीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;
- xliiii. एफ.सं.मानक/ओऔरएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी,2018;
- xliv. एफ.सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी (फोरटिफाइड एंड एनरिचड फूड) - रेग / एफएसएसएआई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- xlv. एफ सं० 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;
- xlvi. एफ सं० स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच /अधिसूचना (03)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;
- xlvii. स. स्टैंडर्ड्स/सी/ पी एल एंड सी पी20-एफएसएसएआई/अधिसूचना/16, तारीख 4 मई, 2018;

- xlviii. फाइल सं० एसटीडीएस/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस लोलीस नोटिफिकेशन/एफ.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- xlix. फा० सं० मानक/एसपी(3)अधिसूचना (जल और सुपेय)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई, 2018; और
- i. फाईल संख्या मानक/सीपीएल और सीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2018

F.No. Stds/SP/(Water&Beverages)/Notifications(5)FSSAI-2018.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with sections 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. Short title and commencement-(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2018.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 (Herein after referred as said regulation), in regulation 2.10,-

(1) in sub-regulation 2.10.2,-

(a) after clause (1), the following clause shall be inserted, namely:-

“1A. DECAFFEINATED -ROASTED AND GROUND COFFEE

(1) Decaffeinated Coffee means, the dried seeds of *Coffea arabica*, *Coffea liberica*, *Coffea excelsa* or *Coffea canephora* (Robusta) or with their husks (mesocarp and endocarp) removed and decaffeinated to remove nearly all the caffeine from the beans. Decaffeination is carried out while the beans are in green form, before they are roasted.

(a) Roasted decaffeinated coffee means properly cleaned green coffee which has been decaffeinated, roasted to a brown colour and has developed its characteristic aroma.

(b) Ground decaffeinated coffee means the powdered products obtained from 'roasted decaffeinated coffee' only and shall be free from husk.

(2) It shall be free from artificial colouring, flavouring, facing, extraneous matter or glazing substances and shall be in dry and fresh condition, free from rancid or obnoxious flavours. It shall conform to the following standards on dry weight basis, namely: -

Table

Sr. No.	Parameters	Requirements
1.	Moisture, per cent. by mass, Max	5.0
2.	Total Ash, per cent. by mass	3.0 to 6.0
3.	Acid insoluble ash, per cent. by mass, Max	0.1
4.	Water soluble ash, per cent. by mass, min	65.0
5.	Alkalinity of soluble ash in milli liters of 0.1 N hydrochloric acid per gram of material, per cent. by mass, ml	3.5 to 5.0
6.	Aqueous extracts, per cent. by mass	26.0 to 35.0
7.	Caffeine (anhydrous) per cent. by mass, Max	0.1

(b) after clause (2), the following clause shall be inserted, namely:-

“2A. DECAFFEINATED SOLUBLE COFFEE POWDER

(1) Decaffeinated soluble coffee powder means coffee powder obtained from freshly roasted and ground pure coffee beans from which most of the caffeine has been removed. The product shall be in the form of a free flowing powder or shall be in the agglomerated form (granules) having colour, taste and flavour characteristic of coffee. It shall be free from impurities and shall not contain chicory or any other added substances.

(2) Decaffeinated Soluble Coffee powder or granules shall conform to the following standards on dry weight basis, namely: -

Table

Sr. No.	Parameters	Permissible Limits
1.	Moisture, per cent. by mass, Max	4.0
2.	Total Ash per cent. by mass, Max	12.0
3.	Caffeine (Anhydrous,) per cent. by mass, Max	0.3
4.	Solubility in boiling water	Dissolves readily in 30 seconds with moderate stirring
5.	Solubility in cold water at 16+/- 2 ⁰ C	Soluble in moderate stirring in 3 minutes

(2) In sub-regulation 2.10.8, in Table 3, in column (2) and (3), for sr. no. 15 and 16, following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Characteristics	Requirements
(1)	(2)	(3)
“15.	Calcium (as Ca), mg/l	20 to 75
16.	Magnesium (as Mg) , mg/l	10 to 30”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./358/18]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers: -

- (i) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
- (ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
- (iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
- (iv) F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI, dated the 5th December, 2014;
- (v) F.No. 1-83F/Sci-Pan-Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;
- (vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
- (vii) F.No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (viii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (ix) F.No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;
- (x) F.No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (xi) F.No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (xii) F.No.1-10(1)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016;
- (xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification (Food Additive)/FSSAI-2014, dated the 3rd May, 2016;
- (xiv) F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated the 14th June, 2016;
- (xv) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals) /FSSAI-2013, dated the 13th July, 2016;
- (xvi) F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated the 15th July, 2016;
- (xvii) F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated the 23rd August, 2016;
- (xviii) F.No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014; dated the 5th September, 2016;
- (xix) Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated the 14th September, 2016;
- (xx) F.No. 11/12/Reg/Prop/FSSAI-2016, dated the 10th October, 2016;
- (xxi) F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 10th October, 2016;
- (xxii) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated the 25th October, 2016;
- (xxiii) F. No.1-11(1)/Standards/SP(Water & Beverages)/FSSAI-2015, dated the 15th November, 2016;
- (xxiv) F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, dated the 2nd December, 2016;
- (xxv) F. No. P.15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated the 29th December, 2016;
- (xxvi) F. No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated the 31st January, 2017;
- (xxvii) F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated the 13th February, 2017;
- (xxviii) F.No.1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 13th February, 2017;
- (xxix) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 15th May, 2017;
- (xxx) F.No. Stds/03/Notification (LS)/FSSAI-2017, dated the 19th June, 2017;
- (xxxii) F.No. 1/Additives/Std/14.2Notification/FSSAI/2016, dated the 31st July, 2017;
- (xxxiii) F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated the 2nd August, 2017;
- (xxxiiii) F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated the 11th September, 2017;
- (xxxv) F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated the 12th September, 2017;
- (xxxvi) No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016, dated the 15th September, 2017;
- (xxxvii) F.No. 1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 15th September, 2017;
- (xxxviii) File No. 2/Std/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated the 18th September, 2017;
- (xxxix) F. No. A-1(1)/Standards/MMP/2012, dated the 12th October, 2017;

- (xxxix) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated the 12th October, 2017;
- (xl) F. No. 2/Std/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
- (xli) F.No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI (pt.I), dated the 17th November, 2017;
- (xlii) F.No. 1/Additives/Std/BIS Notification/FSSAI/2016, dated the 17th November, 2017;
- (xliii) F.No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated the 20th February, 2018;
- (xliv) F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated the 13th March, 2018;
- (xlv) F.No. 1/Infant Nutrition/Std/Notification/FSSAI/2016, dated the 13th March, 2018;
- (xlvi) F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
- (xlvii) F.No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
- (xlviii) F.No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, Dated 20th July,2018;
- (xlix) F.No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, Dated 20th July,2018; and
- (l) F.No. Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, dated 31st July, 2018.